उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
संख्या-28/2025/446/78-2-2025-ई-252330
लखनऊ, दिनांक 28 मार्च,2025

<u>शुद्धि पत्र</u>

आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 के शासनादेश पत्र संख्या-27/2025/445/78-2-2025-ई-252330 दिनांक 28-03-2025 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि रु0-92,11,297.00 की जगह लिपिकीय त्रुटिवश रु0-92,11,257.00 टंकित हो गयी है।

2- अत: उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28-03-2025 में उल्लिखित धनराशि रू0-92,11,257.00 को धनराशि रु0-92,11,297.00 पढ़ा जाये। शासनादेश दिनांक 28-03-2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। मूल शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उद्योग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ / प्रयागराज।
4. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
7. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8. प्रबंध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
9. राज्य समन्वयक, सीईजी, लखनऊ।
10. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
11. नियोजन अनुभाग-4
12. औद्योगिक विकास अनुभाग-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
13. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
14. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in